<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>प्रथम अपील क्रमांक 73/2006</u>

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

<u>निर्णय हेतु सुरक्षित करने का दिनांक 6/08/2018</u>
<u>निर्णय पारित करने का दिनांक 6/08/2018</u>

(जिला न्यायाधीश, दुर्ग के व्यवहार वाद क्रमांक 24-ब/2003 में दिनांक 20.01.2006 के निर्णय/डिक्री से प्रोदभूत)

हेमलाल सोनवानी, पुत्र बिष्ट राम सोनवानी, उम्र लगभग 40 वर्ष स्थायी निवासी ग्राम परसकोल, थाना धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.), वर्तमान निवासी सेक्टर-2, गली नं. 15, क्वार्टर नं. 19-ए, भिलाई, तहसील और जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---- **अपीलकर्ता**

बनाम

श्रीमती रेखा वर्मा पत्नी पोषणलाल वर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी सेक्टर-2, स्ट्रीट 15, क्वार्टर नं. 18-एफ, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---- **उत्तरदाता**

अपीलकर्ता के लिए : श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री प्रीति यादव, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : श्री प्रवीण धुरेंधर, अधिवक्ता

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता</u>
<u>सीएवी निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इस प्रथम अपील में जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 24-ब/2003 में पारित दिनांक 20.01.2006 के निर्णय एवं डिक्री को चुनौती दी गई है जिसके तहत उन्होंने अपीलकर्ता के वाद को खारिज कर दिया था।

2. उत्तरदाता ने स्वीकार किया है कि उसने 24.02.2000 को अपीलकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की, थाना भिलाई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था अपराध पंजीबद्ध किया तथा दुर्ग न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया, उसे उस दांडिक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया।

3. संक्षेप में अपीलार्थी का मामला यह है कि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उत्तरदाता ने उसे परेशान करने तथा बदनाम करने के लिए उसके विरुद्ध उक्त रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विचारण न्यायालय ने उसे इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया था कि मामला झूठा था। उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई थी। उसने न्यायालय में अपने बचाव में बहुत पैसा खर्च किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. संक्षेप में उत्तरदाता का मामला यह है कि उसने सही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि उसकी रिपोर्ट सही थी। अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया।

5. निर्णय तथा डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने पुरजोर ढंग से तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उसके मामले को खारिज करते हुए अवैधानिकता की है। उन्हें उन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया जो दर्शाते हैं कि उत्तरदाता ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियोजन का संचालन किया था। इस प्रकार, आरोपित निर्णय और डिक्री को अपास्त किये जाने योग्य है।

7. उत्तरदाता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निर्णय और डिक्री विधिसम्मत हैं और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. **निर्धारण के लिए बिंदुः-**

इस मामले में निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु हैं -

(1) क्या उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के खिलाफ विद्वेषपूर्ण रूप से अभियोजन संचालित किया ?

(2) क्या अपीलकर्ता उसकी मानहानि की भरपाई के लिए उत्तरदाता से एक लाख रुपये मुआवजा का हकदार है ?

(3) अनुतोष एवं वाद व्यय।

निर्धारण के लिए बिन्दु संख्या 1: कारणों सहित निष्कर्ष:-

9. विद्वेषपूर्ण आपराधिक अभियोजन के लिए कार्यवाही में वादी को निम्नलिखित साबित करना होगा:-

(i) कि वादी पर उत्तरदाता द्वारा मुकदमा चलाया गया था,

(ii) कि अभियोजन वादी के पक्ष में समाप्त हुआ,

(iii) कि उत्तरदाता ने बिना किसी युक्तियुक्त एवम सम्भावी कारण के कार्य किया।

(iv) कि उत्तरदाता ने दुर्भावना से कार्य किया।

(v) ऐसी कार्यवाही ने वादी की स्वतंत्रता या संपत्ति में हस्तक्षेप किया है या वादी की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है या प्रभावित करने की संभावना थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **ऋषभ कुमार बनाम के.सी. शर्मा और अन्य [एआईआर 1961 एमपी 329 खंड 48 सी 103]** के मामले में यह अवधारित किया है कि दाण्डिक विधि को लागू करने वाला व्यक्ति अभियोजक है।

11. ऋषभ कुमार (पूर्वोक्त) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि इस मामले में उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 (प्रदर्श डी-1) दर्ज की थी, इस प्रकार, उत्तरदाता ने अपीलकर्ता को अभियोजित किया था।

12. निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-1 के अनुसार अपीलकर्ता को धारा 451 के तहत दंडनीय आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। तथा धारा 354 भादवि के तहत उसे संदेह का लाभ दिया

गया। इसे तथा संबंधित स्वीकृत तथ्य को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन उसके पक्ष में समाप्त हो गया।

13. युक्तियुक्त एवम सम्भावी कारण की परिभाषा में निम्नलिखित तत्व हैं:-

(i) अभियुक्त का अभियुक्त के अपराध में ईमानदार विश्वास;

(ii) अभियुक्त का विश्वास कुछ ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व पर आधारित होना चाहिए, जिनके बारे में अभियुक्त ईमानदारी से आश्वस्त है तथा जो उसे इस निष्कर्ष पर ले जाती हैं;

(iii) अभियुक्त का दंड तथा विश्वास उचित आधार पर आधारित होना चाहिए;

(iv) ऐसी परिस्थितियाँ, जिन पर विश्वास किया गया है तथा जिन पर भरोसा किया गया है, ऐसी होनी चाहिए, जो अभियुक्त के अपराध में विश्वास करने के लिए उचित आधार हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त परिभाषा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ऋषभ कुमार के मामले (पूर्वोक्त) में की गई टिप्पणी से समर्थन मिलता है।

15. **गिरजा प्रसाद शर्मा बनाम उमा शंकर पाठक और अन्य (एआईआर 1973 एमपी 79)** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने टिप्पणी की थी कि जहां जानबूझकर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, वहां युक्तियुक्त एवम सम्भावी कारण की कमी स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। इसी तरह दुर्भावना का अर्थ है विधिक प्रक्रिया का गलत उद्देश्य से उपयोग करने का आशय।

16. इस मामले में अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि उत्तरदाता को अपने अपराध में कोई ईमानदार विश्वास नहीं था, उत्तरदाता का विश्वास ठोस परिस्थितियों और उचित आधारों पर आधारित नहीं था। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने जांच अधिकारी या अपने वरिष्ठ अधिकारी से यह शिकायत नहीं की थी कि उत्तरदाता ने जानबूझकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि यह झूठी थी, ऐसा न करने के लिए उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इसके अलावा विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष नहीं दिया था कि उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, यह जानते

हुए कि रिपोर्ट झूठी थी। इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि उत्तरदाता ने युक्तियुक्त एवम सम्भावी कारण के बिना काम किया।

17. अपने सामान्य अर्थ में विद्वेष का अर्थ किसी को चोट पहुँचाने की इच्छा, आकांक्षा या आशय है।

18. **हजूर सिंह बनाम जंग सिंह (एआईआर 1973 राज. 1982)** में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि -

(i) जहां प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट उसके ज्ञान के अनुसार झूठी थी,

(ii) जहां उसने रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसके समर्थन में झूठे गवाह पेश किए,

(iii) जहां उसने निर्दोष व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के लिए भेजने में पुलिस को प्रभावित किया और

(iv) जहां सूचना ऐसी थी कि स्वाभाविक रूप से पुलिस को अभियोजन शुरू करने के लिए प्रेरित किया, वहां रिपोर्ट दर्ज कराने वाला व्यक्ति विद्वेषपूर्ण अभियोजक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जहां युक्तियुक्त एवम सम्भावी कारण की कमी है अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह न्यायालय को दुर्भावना का अनुमान लगाने का अधिकार देता है।

20. इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उत्तरदाता ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में मिथ्या साक्षी पेश किए थे, उसने अपीलकर्ता को न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए पेश करने के लिए पुलिस को प्रभावित किया, यह जानते हुए कि वह निर्दोष है। इससे पहले यह निर्णय लिया जा चुका है कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि उत्तरदाता ने बिना किसी युक्तियुक्त एवम सम्भावी कारण के कार्य किया, इस प्रकार दुर्भावना के अस्तित्व की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि उत्तरदाता दुर्भावना से प्रेरित था।

21. इससे पूर्व विमर्शित साक्ष्य की विवेचना के उपरांत , यह न्यायालय पाता है कि, उत्तरदाता ने अपीलकर्ता पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं चलाया था।

<u>निर्णय के लिए बिंदु संख्या 2: कारणों के साथ निष्कर्ष:-</u>

यह पहले ही तय किया जा चुका है कि उत्तरदाता ने अपीलकर्ता पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं चलाया था। इसके अलावा, अ.सा.-1 हेमलाल सोनवानी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा 12 में कहा है कि वह दूसरों के घर जाता था और दूसरे लोग उसके घर आते थे, यह सच है कि वह धार्मिक कार्यक्रमों में जाता है, वह रिश्तेदारों के विवाह में शामिल होता है, ये परिस्थितियां दर्शाती हैं कि उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता उत्तरदाता से अपनी मानहानि के लिए मुआवजे के रूप में कोई राशि पाने का हकदार नहीं है।

<u>निर्धारण बिंदु संख्या 3: कारण सहित निष्कर्ष:-</u>

23. साक्ष्य का पूर्ण मूल्यांकन करने के बाद यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता अपना मामला साबित करने में विफल रहा है, इस प्रकार, उपरोक्त सीमा तक विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की जाती है। इस प्रकार, अपील में कोई बल नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अपीलकर्ता अपने वाद व्यय के साथ साथ उत्तरदाता के वाद व्यय भी वहन करेगा।

25. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-
(शरद कुमार गुप्ता)
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने

हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur